कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / योजना–4 / 23806 / 2022–23 दिनांक 09/05/2022

–: परिपत्र :–

विषय– आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2022–23 में किये गये योजनावार प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

....

प्रत्येक वर्ष की भांति वार्षिक योजना 2022–23 से सम्बन्धित राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता योजना के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत उपलब्धियां अर्जित करने हेतु योजनागत आवंटन की प्रगति का नियमित एवं प्रभावी पर्यवेक्षण आवश्यक है। इस संबंध में निम्नांकित दिशा–निर्देश की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे:–

1. अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों / विद्यालयों के आप नियंत्रक होने के कारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत आपका यह दायित्व है कि आवंटित बजट के विरूद्ध वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित हो।
2. मासिक / त्रैमासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्रों में सम्बन्धित माह की 02 तारीख तक जिला कार्यालयों से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर संकलित सूचना 04 तारीख तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाएंगे।
3. यदि स्वीकृत / आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय में कमी अथवा आधिक्य हो तो तत्काल उचित कार्यवाही करावें तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा समय–समय पर आप स्वयं व्यक्तिगत ध्यान देकर करावें।
4. वर्ष 2022–23 के लिए राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रावधान के शत–प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अभी से आवश्यक कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जानी है। अतः इसे आप गम्भीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।
5. मण्डल अधिकारी स्वयं राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता योजना व्यय की समीक्षा में लेखाकार्मिक को शामिल करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों से व्यय की समीक्षा करने के पश्चात निदेशालय में समीक्षा करवांएगे।
6. यह सुनिश्चित करें की समीक्षा बैठक में व्यय संबंधी संकलित सूचनाए पूर्ण एवं IFMS से मिलान शुदा प्रस्तुत की जावें। **समीक्षा में संयुक्त निदेशक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं उपस्थित होंगे।**
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि अपने अधीन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय से मासिक / त्रैमासिक व्यय की सूचना संकलित कर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रत्येक माह की 02 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। संयुक्त निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालयों में पृथक से **आयोजना की मॉनिटरिंग हेतु गठित प्रकोष्ठ के प्रबोधन का दायित्व सहायक निदेशक / अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।** उन्हें राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता योजनाओं की प्रगति की सूचना (भौतिक एवं वित्तीय) भिजवाने हेतु अधिकृत कर पालना से अवगत करावें, साथ ही प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल नम्बर की सूचना भी इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

Rajshthan Education Department
सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता योजना मद के व्यय की समीक्षा प्रत्येक माह अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा स्तर पर की जाती है। अतः निर्देशित किया जाता है परिपत्र के **बिन्दु संख्या–6 व 7 की पालना कड़ाई से की जावे एवं अपने स्तर पर भी प्रभावी प्रबोधन करें।**

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ताकि वार्षिक योजना 2022–23 का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके तथा योजना में वर्णित सम्पूर्ण उद्देश्य एवं लक्ष्य समय पर प्राप्त किये जा सकें।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।
2. प्रधानाचार्य, आईएएसई, बीकानेर/अजमेर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. वरिष्ठ सम्पादक, प्रकाशन अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशनार्थ।
7. अनुभाग अधिकारी माध्यमिक/छा.प्रो.प्र/खेलकूद/लेखा–डी–2 को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वितों की सूचना से इस अनुभाग को प्रत्येक माह आवश्यक रूप से अवगत करावें।

उप निदेशक (योजना)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते